



2026:AHC:25102

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 1662, वर्ष 2026

श्रीपाल सिंह

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी

याची हेतु अधिवक्ता : अर्चना सिंह जादौन, संतोष कुमार पांडे

प्रत्यर्थी हेतु अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री संतोष कुमार पांडेय ने यह कथन दिया है कि यद्यपि टंड अधिरोपित करने वाले आदेश दिनांक 03.09.2025 और अपील को अस्वीकार करने वाले आदेश दिनांक 19.06.2025 को चुनौती दी गई है, परंतु याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2, अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ ज़ोन, मेरठ के समक्ष पहले ही एक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर दी है। अतः उसे निर्णीत करने हेतु निर्देश दिए जाएँ।

2. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 06.10.2025 को प्रस्तुत पुनरीक्षण याचिका का निर्णय प्रतिवादी संख्या 2, अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ ज़ोन, मेरठ द्वारा किया जाएगा।

3. अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए, याचिका को इस निर्देश के साथ निस्तारित किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2, अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ ज़ोन, मेरठ आज से दो माह की अवधि के भीतर पुनरीक्षण याचिका को निर्णीत करेंगे। यह कहना आवश्यक नहीं है कि पुनरीक्षण याचिका में उठाए गए सभी तर्कों पर विचार किया जाएगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

4 फरवरी, 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"